न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1269–एक/2007 – विरूध्द – आदेश दिनांक 22–5–2007 पारित – व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 371 अ–6/2006–07 निगरानी

1– मुन्ना 2– विटवा पुत्रगण स्व.महादेव पाल
3– श्रीमती बड़ी बहू पत्नि स्व. बंदी पाल
4– राजा भैया पुत्र बन्दीपाल
5– टिर्रा उर्फ प्रेमचंद पुत्र स्व. बंदी नावा.
सरपरस्त माँ बड़ी बहू
6– श्रीमती फुलिया पत्नि स्व. महादेव
सभी निवासीगण ग्राम धुराटी तहसील लौड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्व

1– रामस्वरूप पुत्र रत्तू
2– श्रीमती मँझली (मृतक) पत्नि स्व. रत्तू वारिस
(अ) रामस्वरूप पुत्र रत्तू (ब) सुश्री भूरी पुत्री रत्तू
तीनों निवासी ग्राम देवपुर तहसील लौड़ी
(स) सुश्री रज्जी पुत्री रत्तू पत्नि बड़ैया
ग्राम देवपुर तहसील लौड़ी
(द) सुश्री तिजिया (क) सुश्री शांति (ख) सुश्री कुंवरवाई
तीनों पुत्रियां रत्तू पाल निवासीगण ग्राम पंचमनगर
तहसील वछौन
(ग) सुश्री विटटीवाई पुत्री स्व. रत्तूपाल ग्राम बरहा तहसील
गौरिहार जिला छतरपुर
3– अच्छेलाल पुत्र रामधीन 4– भगवानदास पुत्र सुक्खा
5– बद्री पुत्र सुक्खा
6– श्रीमती सँझली (मृतक) पत्नि स्वर्गीय सुक्खा वारिस
(अ) भगवानदास पुत्र सुक्खा (ब) बद्री पुत्र सुक्खा
(स) श्रीमती बुधिया पुत्री सुक्खा पत्नि टिडिया पाल
(द) श्रीमती पत्ते पुत्री सुक्खा पत्नि छकौड़ी पाल
(क) सुश्री सरमन पुत्री सुक्खा
चारों निवासीगण ग्राम गुमानगंज तहसील अजयगढ़
जिला पन्ना मध्य प्रदेश

कमशः–2

19/8/14

(ख) सुश्री गिल्ला पुत्री सुक्खा निवासी ग्राम खरावा
तहसील चंदला जिला छतरपुर

7— गोपाल पुत्र मन्नी 8— हल्के पुत्र मन्नी
9— विन्द्रावन पुत्र मन्नी 10— गोकुल पुत्र मन्नी
11— राधे पुत्र मन्नी 12— रामचरण पुत्र मन्नी
13— लक्ष्मण (मृतक) पुत्र कंधी वारिसान
(अ) रामकृपाल (ब) चुनावाद (स) भैयालाल
पुत्रगण लक्ष्मण सभी निवासी ग्राम थुराटी
तहसील लौड़ी जिला छतरपुर
(द) राजावाई (क) हल्की पुत्रियां लक्ष्मण
निवासी ग्राम सिमराही तहसील लौढ़ी जिला छतरपुर
(ख) कल्ली पुत्री लक्ष्मण निवासी पंचमनगर
तहसील वछौन जिला छतरपुर
(ग) रानी (घ) बटट्न दोनों पुत्रीयां लक्ष्मण
निवासीगण ग्राम पहाड़ तरेका पुरवा तहसील लौड़ी
(ड.) देवरती पुत्री लक्ष्मण निवासी ग्राम कुचिया
तहसील चंदला जिला छतरपुर ——अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

अनावेदक 1,2 के वारिसान 3,5,6, के वारिसान 2,7,8,10,12,13 के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी शेष अनावेदक कों राज एक्सप्रेस समाचार पत्र 16—7—14 से सूचना प्रकाशित — अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 19.8 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 371/अ—6/2006—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22—5—2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा थुराटी तहसील लौड़ी स्थित

भूमि सर्वे कमांक 60/2, 28, 147, 243/2, 244, 246, 247, 248, 261, 262, 264 कुल किता 11 कुल रकबा 21.26 एकड़ मृतक टिरिया पुत्र भैयालाल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर थी, जिनकी मृत्यु होने के उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 3 पर आदेश दिनांक 25—5—1961 से महादेव पुत्र गंगवा पाल का नामान्तरण हुआ, जिसके आवेदकगण उत्तराधिकारी हैं।

नामान्तरण आदेश दिनांक 25—5—1961 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी जिला छतरपुर के समक्ष दिनांक 25—1—2006 को (लगभग 44 वर्ष 08 माह के अंतराल पर) अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी ने प्रकरण कमांक 106 अ 6/2005—07 में हितबद्व पक्षकारों को श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक 22—5—2006 पारित किया तथा लगभग 45 वर्ष के विलम्ब को क्षमा कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी कमांक 59 अ 6/06—07 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 26—2—2007 से निगरानी अस्वीकार हुई । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 371/अ—6/2006—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22—5—2007 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक तथा उपस्थित हुये अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने । अनुपस्थित रहे अनावेदकगणों के विरूद्व एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण के पूर्वज के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जो बेओलाद मरे हैं

जिसके कारण वादग्रस्त भूमि उनके बंसज अनावेदक होने से उनके स्वत्व एंव स्वामित्व में जायेगी, क्योंकि महादेव पुत्र गंगवा मृतक का बंसज न होने से उसे नामान्तरण कराने का स्वत्व प्राप्त नहीं है। विचाराधीन मामला नामान्तरण का होकर शासकीय अभिलेख को अद्वतन रखने वावत् है किसी संपत्ति के स्वत्व के निराकरण का नहीं है, जबकि वादग्रस्त भूमि में अनावेदकगण स्वयं का स्वत्व होना बता रहे हैं । राजस्व न्यायालय स्वत्व के विवाद को निवटारे हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है, जिसके कारण अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत इस तर्क पर विचार करना संभव नहीं है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु मात्र यह है कि अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी द्वारा प्रकरण कमांक 106 अ 6/2005—07 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22—5—2006 से लगभग 44 वर्ष 08 माह के अत्याधिक विलम्ब को क्षमा करना उचित है अथवा नहीं ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा – 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा—5 – समयवर्जित अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है। अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय—वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है, उसके गुणागुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है। (रामलाल वि. रामचंद्र स्वामी 1967 जे.एल.जे.एस. एन. 43 से अनुसरित)

किन्तु अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी ने अवधि विधान में दिये गये प्रावधानों एंव न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत जाकर लगभग 44 वर्ष 08 माह के विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 22—5—2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। साथ ही अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 26—2—2007 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 22—5—2007 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी के समक्ष अपील प्रकरण में अनावेदकगण व्दारा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने नामान्तरण आदेश दिनांक 25-5-1961 की जानकारी का श्रोत इस प्रकार अंकित कर बताया है । " उपरोक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18-1-06 को उस समय हुई जब अपीलार्थी क-1 अपने खेत पर था और उत्तरवादी क0-1 लगायत 3 खेत पर पहुंचे और कहा कि इस साल फसल हमे काटना है और इस भूमि का नामांत्रण हमारे नाम पर हो चुकी है । तब अपीलार्थी क-1 घबरा गया और दिनांक 19-1-06 को छतरपुर जकर अपने अभिभाषक से परामर्श कर दिनांक 19-1-06 को छतरपुर जाकर नकल शाखा में नकल हेतु आवेदन पत्र पेश की। "

अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी ने अनावेदकगण के अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में उक्तांकित तथ्यों पर विश्वास कर लगभग 44 वर्ष 08 माह का विलम्ब क्षमा किया है। उक्तांकित तथ्य अविश्वसनीय हैं क्योंकि नामान्तरण आदेश दिनांक 25-5-1961 के वाद से वादोक्त भूमि पर आवेदकगण भूमिस्वामी होने के वाद निरन्तर खेती करते चले आये और लगभग 44 वर्ष 08 माह के अंतराल तक अनावेदकगण को यह पता नहीं चला कि आवेदकगण भूमि किस हक से व किस आधार पर जोत-बो रहे हैं। अंततः जब भूमि अनावेदकगण की है तब आवेदकगण 44 वर्ष 08 माह से वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार खेती कर रहे हैं व फसल ले रहे हैं विचार योग्य बिन्दु है।

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

लक्ष्मीचंद बनाम चल्लू 1978 ज0ला0ज0 245 डी0बी0 हाईकोर्ट तथा सुखदेव बनाम देवचरण 1881 रा0नि0 216 पैरा-5 के न्यायिक दृष्टांत है कि 19 साल

वाद अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आदेश दिया , वह अत्यन्त अनुचित एंव अवैध है। इसी प्रकार मनीराम विरूद्व ओंकार 1984 राजस्वनिर्णय 241 तथा लल्लीवाई विरूद्व राममिलन 1987 राजस्व निर्णय 119 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि पूर्व में नामान्तरण के समय आपत्ति नहीं की, अब 36 वर्ष वाद नामान्तरण पुनः री-ओपिन नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन अपील प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लौड़ी ने लगभग 44 वर्ष 08 माह के अंतराल पर प्रस्तुत अपील में विलम्ब को क्षमा कर नामान्तरण कार्यवाही पुर्नविचारित करने की त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 22-5-2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। निगरानी प्रकरणों में अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 26-2-2007 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 22-5-2007 पारित करते समय वास्तविक तथ्यों पर ध्यान न देने की त्रृटि की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 371/अ-6/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-5-2007 तथा अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 59 अ 6/06-07 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 एंव अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी द्वारा प्रकरण कमांक 106 अ 6/2005-07 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 3 पर आदेश दिनांक 25-5-1961 से किया गया नामान्तरण यथावत् रहता है।

अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर